249 15 पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शुरू की गई नई पेंशन प्रणाली।

अधोहस्ताक्षरी को एततद्वारा नई पेंशन योजना की मुख्य विशेषता संबंधी ब्रोशर अग्रेषित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा 01.01.2004 से सभी नए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू की गई है और 23 राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना अधिसूचित की गई है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा ने सरकारी परामर्श के आधार पर 01.05.2009 से स्वैच्छिक आधार पर भारत के सभी नागरिकों (18–60 वर्ष की उम्र के बीच) को भी नई पेंशन योजना प्रदान की है।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि पीएफआरडीए द्वारा विनियमित एनपीएस की विषय–सामग्री को आवश्यक कार्रवाई एवं उनकी ओर से मार्गदर्शन के लिए उनके नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नोटिस में लाएं।

(डीपीई का. ज्ञा. **सं. 2(131)/09–डीपीई (डब्ल्यूसी), दिनांक 16 फरवरी, 2010**)

*****